अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
37/2016	03/08/2016	30/05/2023

बउनवान

प्रभुलाल पुत्र श्री मन्नालाल जाति मीणा निवासी अयाना तह. पीपल्दा जिला कोटा(राज.)

1/1 जितेन्द्र पुत्र प्रभुलाल जाति मीणा निवासी अयाना तह. पीपल्दा जिला कोटा(राज)

1/2 मोहनीबाई पुत्री प्रभुलाल जाति मीणा निवासी अयाना तह. पीपल्दा जिला कोटा(राज)

1/3 द्रोपदीबाई पुत्री प्रभुलाल जाति मीणा निवासी अयाना तह.पीपल्दा जिला कोटा(राज)

1/4 ललिताबाई पुत्री प्रभुलाल जाति मीणा निवासी अयाना तह.पीपल्दा जिला कोटा(राज)

1/5 निर्मलाबाई पुत्री प्रभुलाल जाति मीणा निवासी अयाना तह.पीपल्दा जिला कोटा(राज)

1/6 बिमलाबाई पुत्री प्रभुलाल जाति मीणा निवासी अयाना तह.पीपल्दा जिला कोटा(राज)

1/7 कलावतीबाई पुत्री प्रभुलाल जाति मीणा निवासी अयाना तह. पीपल्दा जिला कोटा(राज)

1/8 शांन्तिबाई पत्नि प्रभुलाल जाति मीणा निवासी अयाना तह. पीपल्दा जिला कोटा(राज)

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र श्री मन्नालाल जाति जाति मीणा निवासी अयाना तह. पीपल्दा जिला कोटा(राज)
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि परोक्त उनवान का एक माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है जिसमें कामयाबी मिलने की ई उम्मीद है.। प्रार्थी के स्व0 पिता मन्नालाल पुत्र पन्नालाल के खाते संयुक्त प्रार्थी एवं

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

अप्रार्थी क्रम 1 के कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा सख्या 269 की 3.02है. खसरा सख्या 270 की 2.39है., खसरा संख्या 1640 की 0.02है., खसरा संख्या 1642 की 0.01है., खसरा संख्या 1650 की 0.02है, कुल किता 5 कुल रकबा 5.46है., भूमि वाके माल अयाना तह. पीपल्दा जिला कोटा मे स्थित है जिसे आगे की मदो में सुविधा के लिये वादग्रस्त आराजी कहा गया है। उक्त विवादित कृषि आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 की पैतृक कृषि आराजी है। प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1 के पिता स्व0 मन्नालाल की मृत्यु दिनांक 10/02/ 1995 को हुई थी जिसका फौती इन्तकाल न. 2374 दिनांक 20/04/2015 को अप्रार्थी न. 2 द्वारा बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को अपनाये बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के पालना करते हुये अप्रार्थी क्रम 1 से मिलकर बिना प्रार्थी को सुने गैर कानूनी रुप से खोलने की कानूनी भूल की है तथा उक्त इन्तकाल से अप्रार्थी न. 1 को कोई हक व अधिकार हासिल नहीं होते हैं। अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा बिना किसी प्रार्थी को नोटिस दिये बिना ही प्रार्थी के दस्तावेजी साक्ष्य पर ध्यान बिना पटवारी से प्रार्थी के कब्जे की जाँचे करवाये बिना मात्र सरसरी व गैर कानूनी तरीके से उक्त इन्तकाल की कार्यवाही को अन्जाम दिया गया उक्त इन्तकाल प्रार्थी के हितों के मुकाबले निष्प्रभावी व बेअसर है। प्रार्थी स्व0 मन्नालाल का पुत्र है तथा प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों पर उसके पिता का नाम प्रभुलाल दर्ज है तथा वादी अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिये उक्त वाद घोषणा बाबत् पेश है। प्रार्थी का उक्त विवादित कृषि आराजी मे पुत्र होने के नाते 1/2 हिस्सा बनता है तथा प्रार्थी अपने निहित हिस्से 1/2 की घोषणा करवाते हुये माननीय न्यायालय की सहायता से प्राप्त करने का अधिकारी है तथा वादी घोषणा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी अपने स्व0 पिता मन्नालाल के जीवनकाल से ही अपने निहित हिस्से 1/2 पर शांतिपूर्वक तरीके से काविज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 अनु0 जनजाति (एस.टी) के सदस्य हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं बल्कि वो पूराने हिन्दू कानून से शासित होते हैं जिसके तहत पुरुषों के जीवित होते हुये पैतृक कृषि आराजी से महिलाओं को कोई हक व अधिकार नहीं होता है इसलिए महिलाओं को पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थी उक्त विवादित कृषि आराजी में अपने निहित 1/2 यानि 2.73है0 पर संयुक्त रुप से काश्त करना मुमकिन नहीं रह गया है इसलिए प्रार्थी अपने निहित हिस्से 1/2 का बंटवारा करवाकर पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा प्रार्थी बंटवारे की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है, ताकि पृथक से प्रार्थी का नाम दर्ज हो सके व लगान व कर्ता पृथक से कायम हो सके। अप्रार्थी क्रम 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी को अभी दिनांक 20/07/2016 को अप्रार्थी क्रम 1 ने उक्त विवादित कृषि आराजी अन्यत्र बेचान करने व वादी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

को बेदखल करने की धमकी दी है तथा अप्रार्थी क्रम 1 अपनी उक्त धमकी को सरोकार करने व उक्त विवादित पैतृक कृषि आराजी का बेचान अन्यत्र करने पर हरचन्द उतारु है जबकि अप्रार्थी क्रम 1 को ऐसा करने का कोई कानूनी हक व अधिकार हासिल नहीं है यदि अप्रार्थी क्रम 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी व प्रार्थी के साम्पत्तिक अधिकारों का हनन होगा। इसलिए प्रार्थी को यह हक व अधिकार हासिल है कि वो अपने साम्पत्तिक अधिकारों की रक्षा करे इसलिए मजबूर होकर प्रार्थी को खातेदारी घोषणा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश करना लाजिम आया तथा प्रार्थी माननीय न्यायालय से खातेदारी घोषणा एवं बंटवारा व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि उक्त विवादित कृषि आराजी प्रार्थी के पिता की होकर प्रार्थी की पैतृक कृषि आराजी है जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही अधिकार निहित है। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अन्त में निवेदन किया कि न्यायहित में प्रार्थी कर प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाते हुये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निराकरण होने तक प्रार्थना पत्र की मद न. 2 मे वर्णित पैतृक कृषि आराजी खसरा संख्या 269 की 3.02है. खसरा सख्या 270 की 2.39है., खसरा संख्या 1640 की 0.02है., खसरा संख्या 1642 की 0.01है., खसरा संख्या 1650 की 0.02है, कुल किता 5 कुल रकबा 5.46है., भूमि वाके माल अयाना तह. पीपल्दा जिला कोटा को किसी अन्य व्यक्ति संस्था निगम निकाय को रहन बेचान वसीयत न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करवाये और न ही प्रार्थी के 1/2 हिस्से ने कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही अपने किसी अन्य प्रतिनिधियों से करवाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई अप्रार्थीकम 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए विशेष आपत्तियों में कथन किया गया कि अप्रार्थी के पिता मन्नालाल पुत्र पन्नालाल जाति मीणा निवासी आयाना के खाते में वाके ग्राम अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा में कृषि आराजी खसरा संख्या 269 की 3.02है. खसरा सख्या 270 की 2.39है., खसरा संख्या 1640 की 0.02है., खसरा संख्या 1642 की 0.01है., खसरा संख्या 1650 की 0.02है, कुल किता 5 कुल रकबा 5.46है0, अप्रार्थी के पिता मन्नालाल की मृत्यु के बाद नामान्तकरण संख्या 2374 दिनांक 20.04.2015 से उपरोक्त आराज विरासतन अप्रार्थी कम 1 के पक्ष में किया इस प्रकार सम्पूर्ण आराजी पर बतौर खातेदार अप्रार्थी काबिज काश्त है। इंतकाल संख्या 2374 खोलते समय तहसीलदार पीपल्दा द्वारा विधिक प्रकिया अपनाकर विधिक जाँच कर विधिक निर्णय कर तस्दीक किया है जिसमें पंचायत व पड़ौसी गवाहों के बयान आदि लिये गये हैं उसके बाद

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

इंतकाल खोला गया था उक्त इंतकाल की जानकारी प्रार्थी को प्रारम्भ से ही थी। अप्रार्थी कम 1 का मीणा जाति गोत्र परालिया है और प्रार्थी का (गौत्र बेडोलिया) है। अप्रार्थी के पिता मन्नालाल जी की पूर्व पत्नी रामनाथी थी, जिससे अप्रार्थी की बहिन किशनीबाई पैदा हुई रामनाथी की मृत्यु के बाद मन्नालाल जानकीबाई को नाते लाये थे। जिससे अप्रार्थी का जन्म हुआ जानकीबाई का विवाह तिसाया तह0 मॉगरोल जिला बारां के मोतीलाल पुत्र पन्नालाल जाति मीणा गोत्र बेडोलिया के साथ था, और मोतीलाल की मृत्यु के बाद प्रार्थी की माँ जानकी बाई अपने पीहर लुहावद तह0 पीपल्दा में अने भाई गौरूलाल मीणा के पास आ गई और लुहावद में 4–5 साल तक रही उसके बाद अप्रार्थी के पिता मन्नालाल के नाते आई नाते आने के बाद मन्नालाल व जानकीलाल के नुत्फे से अप्रार्थी कम 1 पैदा हुआ अप्रार्थी के अलावा कोई संतान मन्नालाल व जानकीबाई के नुत्फे से पैदा नहीं हुई। जानकीबाई के नाते आने के बाद प्रार्थी प्रभुलाल को तिसाया के उनके परिवार के व्यक्ति ग्राम तिसाया ले गये लेकिन प्रभूलाल वहां नहीं रहा वह वापस अयाना में जानकी बाई के पास आ गया जानकीबाई के पास आकर रहने लगा। धीरे–धीरे प्रभुलाल व्यस्क होने लगा तो उसे रहने के लिए पृथक से अप्रार्थी के पिता ने बाडे में एक कच्चा मकान दे दिया जो अयाना में ही रहने लगा प्रार्थी प्रभुलाल का (गोत्र बेडोलिया) है प्रभुलाल के मामा गौरूलाल मीणा निवासी लुहावद है तथा प्रभुलाल के नाना देवलाल है जिनका गोत्र दामडिया है। प्रार्थी ने मन्नालाल की सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए अपने प्राकृतिक पिता मोतीलाल की वल्दियत को मतदाता सूची राशन कार्ड आदि में नहीं लिखवाकर अप्रार्थी के पिता का नाम अंकित करवा लिया। जिसकी कोई जानकारी अप्रार्थी व उसके पिता को नहीं थी, क्योंकि प्रार्थी पृथक से निवास करता था प्रार्थी अप्रार्थी के पिता की सम्पत्ति को प्राप्त करने की नीयत से प्रारम्भ से ही चालाकी पूर्ण कार्य कर रहा था ताकि वह मन्नालाल का वारिस बनकर मन्नालाल की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति को प्राप्त कर सके और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने यह दस्तावेज बनाये हैं। प्रार्थी तथाकथिक फर्जी व बनावटी दस्तावेजों के आधार पर अप्रार्थी की माँ जानकीबाई के साथ गेलड आया था जिसको अप्रार्थी के पिता की सम्पत्ति में किसी प्रकार के कोई अधिकार सृजित नहीं होते हैं। प्रार्थी प्रभुलाल गेलड था। प्रार्थी ने कहीं भी यह जिक्र नहीं किया कि उसकी माँ कौन थी और उसकी माँ से कौन–कौन सी संतान पैदा हुई और किशनीबाई की माँ कौन थी प्रार्थना पत्र में तथ्यों को छुपाकर विवादग्रस्त आराजी को हड़प करने के उद्देश्य से पूर्ण नियोजित तरीके से बनाये गये दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी अप्रार्थी के पिता की सम्पत्ति को प्राप्त करना चाहता है, जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। विवादग्रस्त आराजी में कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है और न ही वह विवादग्रस्त आराजी में कोई सम्पत्ति प्राप्त कर सकता

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से कोई संबंध नहीं है और नहीं वह अप्रार्थी कम 1 के पिता मन्नालाल का जायन्दा पुत्र है वह जानकीबाई के साथ था जब अप्रार्थी के पिता ने जानकीबाई से नाता विवाह किया तब गेलडी औलाद के रूप में साथ आया था, जो अपने प्राकृतिक पिता के गांव चला गया फिर वहां से वापस अयाना आ गया। अप्रार्थी के पिता के मात्र अप्रार्थी व उसकी बहिन किशनीबाई ही संतान है इनके अलावा और कोई संतान नहीं है अप्रार्थी कम 1 की जागा की पोथी में भी प्रार्थी का कोई जिक नहीं है। संतान की पोथी हमारे समाज व गोत्र की प्रमाणित सूची है। प्रार्थी को कोई प्रथम दृष्ट्या केस नहीं है और न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है और न ही अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को हो रही है बल्कि प्रथम दृष्ट्या केस पूर्ण रूप से अप्रार्थी के पक्ष में है और अप्रार्थी विवादग्रस्त आराजी का एक मात्र खातेदार कृषक है। उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त भी अप्रार्थी का ही है जिस पर वह शांतिपूर्ण तरीके से फसल काश्त करता हुआ चला आ रहा है। यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी गई तो वह इसकी आड में अप्रार्थी के कब्जे काश्त व स्वामित्व व खातेदार की भूमि पर अवैध कब्जा कर लेगा अप्रार्थी को अपार क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं होगा और अप्रार्थी को कोई वाद विवाद में उलझना पड़ेगा। जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं होगा। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य है प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्ट्या केस नहीं है और न ही उसके पक्ष में सुविधा का सन्तुलन है। अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया।

उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का सावधानी से अवलोकन किया गया अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के लिए न्यायालय के समक्ष तीन महत्वपूर्ण बिन्दु अवधारणीय है–

1. प्रथम दृष्ट्या मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपरिमित क्षति

<u>प्रथम दृष्ट्या मामला तथा सुविधा का संतुलनः–</u>

सुविधा का दृष्टि से उपरोक्त दोनों बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रकरण में यह निर्विवाद स्थिति है कि विवादित भूमि मन्नालाल पत्र पन्नालाल जाति मीणा की खातेदारी की भूमि थी। मन्नालाल की मृत्यु के बाद खोले गये फौती इंतकाल नम्बर 2374 में वर्णित सजरे में मन्नालाल के जीवित वारिसान में प्रभुलाल, नन्दकिशोर पुत्र, किशनी पुत्री का नाम दर्ज किया हुआ है तत्पश्चात् तहसीलदार पीपल्दा द्वारा उक्त इंतकाल केवल नन्दकिशोर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

के पक्ष में ही स्वीकृत किया गया। जिससे हस्तगत विवाद का जन्म हुआ। पत्रावली पर प्रभूलाल का राशनकार्ड, मतदाता पहचान–पत्र मौजूद है जिसमें प्रभूलाल के पिता के स्थान पर मन्नालाल का नाम अंकित है तथा इसी आशय की ग्राम पंचायत अयाना की तस्दीक भी है। इसके विपरीत अप्रार्थी कम 1 द्वारा भी ग्राम पंचायत अयाना की तस्दीक प्रस्तुत की गई जिससे प्रभूलाल मन्नालाल का पुत्र नहीं होना जाहिर होता है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी कम 1 द्वारा पुलिस कार्यवाही के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। प्रकरण में मन्नालाल के उत्तराधिकार का जटिल तथा सारभूत प्रश्न विद्यमान है जिसका निस्तारण उभय पक्षों द्वारा समुचित साक्ष्य प्रस्तुत किय जाने के उपरान्त ही सम्भव है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से प्रार्थी प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन स्वयं के पक्ष में साबिज करने में सफल रहा है।

अपरिमित क्षतिः–

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मूल वाद के निस्तारण तक यदि वादग्रस्त भूमि पर निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो विवादित भूमि खुर्द–बुर्द की जा सकती है। जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी।

इस प्रकार सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा की कृषि आराजी खसरा संख्या 269 की 3.02है. खसरा सख्या 270 की 2.39है., खसरा संख्या 1640 की 0.02है., खसरा संख्या 1642 की 0.01है., खसरा संख्या 1650 की 0.02है, कुल किता 5 कुल रकबा 5.46है0, भूमि को किसी अन्य व्यक्ति संस्था निगम निकाय को रहन बेचान वसीयत न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करवाये और न ही प्रार्थी के 1/2 हिस्से ने काश्त में किसी भी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही अपने किसी अन्य प्रतिनिधियों से करवाये।

पत्रावल फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अंजना सहरावत
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा कोटा